क्रम-संख्या—173

रजि0 नं0 एल. डब्लू/एन. पी0-561

लाइसेन्स नं0 डब्लू पी0—41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 6 मार्च, 1991

फाल्गुन 15, 1912 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या 733/12-5—91-600(287)-81

लखनऊ, 5 मार्च, 1991

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0आ0—127

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26—स0 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (संशोधन) विनियमावली, 1991

1—(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (संशोधन) विनियमावली, 1991 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

विनियम 4 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली, 1984 में, जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, विनियम 4 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 वर्तमान उपविनियम	स्तम्भ--2 संशोधित उपविनियम
"4--(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।"	"4--(1) अधिकारियों और कर्मचारियों की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या और वेतन-मान ऐसे होंगे जैसे परिषद् द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जायें।"

विनियम 19 का संशोधन

3--उक्त विनियमावली के विनियम 19 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपविनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 वर्तमान उपविनियम	स्तम्भ--2 संशोधित उपविनियम
"19--(3) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, परिषद् के किसी कर्मचारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर कोई कारण बताये बिना उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है या ऐसा कर्मचारी 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या अपनी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी।"	"19--(3) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय परिषद् के किसी कर्मचारी को (चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी) नोटिस देकर कोई कारण बताये बिना उसके 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उससे सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकता है या कर्मचारी 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् या अपनी बीस वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् किसी भी समय नियुक्त प्राधिकारी को नोटिस देकर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी। स्पष्टीकरण--उपविनियम (3) के अधीन कार्यवाही करने के लिये समय-समय पर यथा संशोधित, फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के फण्डामेन्टल रूल 56 के खण्ड (सी) जिसके अन्तर्गत (उसका स्पष्टीकरण भी है) और ऐसे अन्य नियमों विनियमों, अनुदेशों, आदेशों के उपबन्ध जो उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू हो, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

विनियम 29 का संशोधन

4--उक्त विनियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 29 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायगा, अर्थात् :--

स्तम्भ--1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ--2 संशोधित विनियम
"29--ऐसे विषयों के संबंध में, जो विशिष्ट रूप से इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, परिषद् की सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों पर सामान्य तया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।"	29--(1) ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, परिषद् की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे। (2) ऐसे विषयों, जो इस विनियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत आते हों या विनिर्दिष्ट रूप से अन्तर्गत आने वाले समझे जायें, के सम्बन्ध में अन्य ब्यौरों और अतिरिक्त उपबन्धों के लिये जो इस विनियमावली या

स्तम्भ—1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ—2 संशोधित विनियम
	अन्य विशेष आदेशों में न दिये गये हों, परिषद् की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में कार्यरत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।"

अरविन्द मोहन,
निदेशक मण्डी परिषद्।

आज्ञा से,
राम कृष्ण,
प्रमुख सचिव, (कृषि) एवं अध्यक्ष,
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ।

विनियमावली :— (1) प्रथमवार अधिसूचना संख्या 3819/12-5-600 (287)-81, लखनऊ, दिनांक 30 जून, 1984 तथा उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश, 16 ए० पी० सेन रोड, लखनऊ के पत्रांक प्र० अ०/ विनियमावली-19/84-1366 द्वारा सरकारी गजट उत्तर प्रदेश असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में लखनऊ, बुद्धवार, 1 अगस्त, 1984 को प्रकाशित की गयी थी।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 733/XII-5—91-600(287)-81, dated March 5, 1991:

No. 733/XII-5—91-600(287)-81

Dated Lucknow, March 5, 1991

IN exercise of the powers under section 26-X of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U. P. Act no. XXV of 1964), the State Agricultural Produce Markets Boarde Lucknow with the previous approval of the State Government makes the following regulations:

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BOARD (OFFICERS AND STAFF ESTABLISHMENT) (AMENDMENT) REGULATION, 1991

1. (1) These regulations may be called the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) (Amendment) Regulations, 1991. — Short title and Commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh State Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984 hereinafter referred to as the said regulations in regulation-4 *for* sub-regulation (1) set out in Column-1 the sub-regulation set out in Column.2 below shall be *substituted*, namely:— — Amendment of Regulation—4

COLUMN—1 *Existing Sub-regulation*	COLUMN—2 *Amended Sub-regulation*
"4. (1) The strength of the officers and staff and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Board from time to time."	"4. (1) The strength of the officers and staff and of each category of posts therein and the scales of pay shall be such as may be determined by the Board from time to time."

Amendment of Regulation—19

3. In regulation 19 of the said regulations, *for* sub-regulation (3), set out in Column-1 the sub-regulation set out in Column-2 below shall be *substituted*, namely:—

COLUMN—1 *Existing sub-regulation*	COLUMN—2 *Amended sub-regulation*
"19. (3) The appointing authority may, at any time, by notice to an employee of the Board (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of 50 years or such employee may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of 45 years or after he has completed qualifying service of twenty years. The period of such notice shall be three months."	"19. (3) The appointing authority may, at any time, by notice to an employee of the Board (whether permanent or temporary), without assigning any reason, require him to retire after he attains the age of 50 years or such employee may by notice to the appointing authority voluntarily retire at any time after attaining the age of 45 years or after he has completed qualifying service of twenty years. The period of such notice shall be three months. *Explanation*—For taking action under sub-regulation (3) the provisions of clause (*c*) (including its explanation), of the Fundamental Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules in Financial Handbook, Volume II, Parts II to IV as amended from time to time and such other rules, regulations, instructions, orders as may be generally applicable to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh shall *mutatis mutandis* apply."

Amendment of Regulation—29

4. In the said regulations *for* regulation-29 set out in Column-1 the regulation set out in Column-2 below shall be *substituted*, namely:—

COLUMN—1 *Existing Regulation*	COLUMN—2 *Amended Regulation*
"29. In regard to the matter not specifically covered by the rules or by special orders, persons appointed to the service of the Board shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to State Government employees."	"29. In regard to the matters not specifically covered by these regulations or by special orders, persons appointed to the service of the Board shall be governed by the rules, regulations, instructions and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh. (2) In regard to the matters specifically covered or deemed to be specifically covered by these regulations or by special orders, for other details and further provisions in connection therewith not contained in these regulations or other special orders, persons appointed to the service of the Board shall be governed by the rules, regulations, instructions and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh."

ARVINDA MOHAN,
Director, Mandi Parishad.

By order,
RAM KRISHNA,
Krishi Sachiv and *Chairman,*
Rajya Krishi Utpadan Mandi Parishad.

Regulation—

(1) First published on June 30, 1984 *vide* no. 3819/XII-5—600(287)-81.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 1532 राजपत्र (हि०)—(3407)-1991-1119+100-(मे०)।